

प्रेपक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

विषय : प्रदेश के स्थानीय निकायों के विकास हेतु "पं० दीन दयाल उपाध्याय नगरोदय योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत पत्र संख्या-2684/69-1-02-45(सा)/02 दिनांक 20 सितम्बर, 2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके द्वारा नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसके अन्तर्गत आपकी अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था, इसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को सदस्य/संयोजक तथा परियोजना अधिकारी, डूडा को सदस्य नामित किया गया था।

उपरोक्त के पारिषेध में सम्पूर्ण विचारोपानत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला स्तरीय समिति में अंगिकारी परिवर्तन करते हुए परियोजना निदेशक डूडा को जिला स्तरीय समिति को सदस्य/संयोजक तथा परियोजना अधिकारी डूडा को सहसंयोजक नामित किया जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय समिति में केवल सदस्य होंगे तथा समिति का शेष गठन पूर्वक होगा। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 20.9.2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
प्रमुख सचिव

संख्या-3525(1)/69-1-2002-45 (सा)/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. निरेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. निरेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
4. निरेशक, मुडा, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निरेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
रमेश मिश्रा  
संयुक्त सचिव